ए.

दयालू कश्यप बनाम.

छत्तीसगढ़ राज्य (आपराधिक अपील संख्या 130/2022) 25 जनवरी, 2022

बी.

[संजय किशन कौल और एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जे**.]**

नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -एस. 50-का प्रभाव-राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं, बल्कि उप-निरीक्षक द्वारा की गई तलाशी, अपीलार्थी द्वारा ले जाए गए कानवाड़ पर पॉलिथीन बैग से गांजा की बरामदगी-अपीलार्थी यू /धारा 20 (ख) (ii) (ग), एन. डी. पी. एस. अधिनियम-राजस्थान राज्य बनाम परमानंद और अन्य पर निर्भर करता है। [2014] 3 एस. सी. आर. 522 और की गई टिप्पणियों के दायरे का विस्तार करने की मांग करते हुए, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसे संबंधित अधिकारी से खुद की तलाशी लेने का विकल्प दिया गया है, जो क़ानून का हिस्सा नहीं है, उसे यह विकल्प नहीं दिया जा सकता था और इस प्रकार, यदि व्यक्तिगत खोज एस. के उल्लंघन से दूषित होती है।50, अन्यथा की गई वसूली भी दूषित हो जाएगी और इस प्रकार, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है:इस तरह का एक विस्तारित दृष्टिकोण नहीं दिया जा सकता है-गांजे की बरामदगी एक पॉलीथीन बैग से हुई थी जिसे कांवड़ पर ले जाया जा रहा था-बरामदगी व्यक्तिगत रूप से नहीं थी-अपीलार्थी को राहत नहीं दी गई थी-हालाँकि, चूंकि अपीलार्थी पहले ही 10 साल की सजा काट चुका था और जुर्माने का भुगतान न करने के लिए एक साल की वैकल्पिक सजा में लगभग छह महीने की सजा काट चुका था, इसलिए जुर्माने का भुगतान न करने के खिलाफ एक साल की सजा को लगभग छह महीने की सजा से प्रतिस्थापित किया गया था और अपीलार्थी को पहले ही मुक्त कर दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

राजस्थान राज्य बनाम परमानंद और अन्र। (2014) 5 एससीसी

345 :[2014] 3 एस. सी. आर. 522; पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह 1999 (6) एस. सी. सी. 172:[1999] 3 एस. सी. आर. 977-संदर्भित।

जी.

संदर्भित विधि निर्णय

[2014] 3 एससीआर **522**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

[1999] 3 एससीआर **977**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4** ए

एच.

1020

1021

दयालू कश्यप बनाम छत्तीसगढ़ राज्य ए

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2022 की आपराधिक अपील संख्या 130।

2011 के सी. आर. ए. No.857 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के दिनांकित 28.03.2019 निर्णय और आदेश से।

देवांश ए. मोहता (एसी), अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।सुमीर सोधी, गौरव, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

बी.

आदेश

1. छुट्टी दे दी गई।

सी.

2. वर्तमान अपील सुबह 10.30 की 11.09.2010 की एक घटना के कारण उत्पन्न होती है जब उप निरीक्षक K.S.Singh (PW-5) ने प्राप्त जानकारी के आधार पर अपीलार्थी को पकड़ लिया और पाया कि वह परिवहन के लिए भैसाबेड़ा से पीठापुर तक लकड़ी के कंवड पर एक हरे

रंग के पॉलिथीन बैग में गांजा ले जा रहा था।अपीलार्थी पर मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ('एन. डी. पी. एस. अधिनियम') के तहत आरोप लगाया गया था और विशेष न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया गया था, जिन्होंने अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी लेकिन उस अपील को दिनांक 28.03.2019 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

डी.

ई.

3. हमने जमानत आवेदन सहित आई. डी. 1 पर नोटिस जारी किया क्योंकि अपीलार्थी को 10 साल की सजा हुई थी और जुर्माना देने में उसकी असमर्थता के परिणामस्वरूप वह एक साल की शेष सजा काट रहा था।किसी अन्य मामले के साथ इस मामले की सुनवाई के दौरान, 01.03.2021 पर, हमने देखा कि एकमात्र बिंदु जो वास्तव में विचार के लिए उठा था, वह एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का प्रभाव था। चूँकि याचिकाकर्ता पहले ही 10 साल की सजा काट चुका था और जुर्माने का भुगतान न करने के लिए एक साल की वैकल्पिक सजा में लगभग छह महीने की सजा काट चुका था, इसलिए हमने जुर्माने का भुगतान न करने के खिलाफ एक साल की सजा को लगभग छह महीने की सजा से प्रतिस्थापित करना उचित समझा और अपीलार्थी को मुक्त करने का निर्देश दिया।तदनुसार अपीलार्थी को 03.03.2021 पर मुक्त कर दिया गया।

एफ.

जी.

4. हमने अपीलार्थी के लिए उसके द्वारा पूछे गए उपरोक्त प्रश्न पर विद्वान वकील को सुना है। विद्वान सलाह ने हमारा ध्यान इस ओर खींचा है कि

एच.

तलाशी लेने वाले अधिकारी (पीडब्लू-5) की गवाही।गवाही का पैरा 6 इस प्रकार हैः

“6. इसके बाद, मौके पर, पिठापुर थोथापाड़ा चौक, मुरमरोड के किनारे, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत 12.45 ओ 'क्लॉक पर नोटिस दिया गया कि

मुखबिर से जानकारी मिली है कि गांजा उसके कानवाड़ के दोनों सिरों पर रखा गया है, जिसके लिए तलाशी लेना आवश्यक है।आप किसी भी राजपत्रित अधिकारी, मजिस्ट्रेट या मेरे द्वारा भी तलाशी ले सकते हैं।अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी और मजिस्ट्रेट के अर्थ के बारे में समझाया गया।फिर, आरोपी ने मेरे द्वारा तलाशी लेने के लिए मौखिक सहमति दी।तलाशी के लिए दी गई सहमति को अभियुक्त द्वारा निर्धारित रूप में दर्ज किया गया था।मेरे द्वारा दिया गया नोटिस प्रदर्शनी पी. 5 है जिस पर भाग सी से सी तक मेरे हस्ताक्षर हैं। उसी तारीख को 13 बजे, मौके पर ही, आरोपी से सहमति प्राप्त करने पर, मैंने खुद को, साथ में कर्मचारियों और मोटरसाइकिल की आरोपी से तलाशी ली।खोज में कोई आपत्तिजनक लेख नहीं मिला।हमारी व्यक्तिगत खोज खोज ज्ञापन (प्रदर्शनी पृष्ठ 6) है जिस पर भाग सी से सी तक मेरे हस्ताक्षर हैं। 13 बजेः15 घटनास्थल पर, आरोपी और आरोपी दयालू कश्यप के कब्जे में रखे गए कणवाड़ के दोनों सिरों पर लिपटे हरे रंग के पॉलीथीस बंडल की तलाशी ली गई।फिर, दोनों पॉलिथीन बंडलों के अंदर गांजा के समान वस्तु पाई गई।खोज ज्ञापन प्रदर्शनी पी. 7 है जिस पर भाग सी से सी तक मेरे हस्ताक्षर हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

5. विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत दो विकल्पों के रूप में निर्धारित किए गए विकल्प के अलावा तीसरा विकल्प लेने का विकल्प कुछ ऐसा है जो कानून के अधिदेश के विपरीत है और एक तरह से अभियुक्त को उक्त धारा द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण को प्रभावित करता है।अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, उन्होंने राजस्थान राज्य बनाम परमानंद और अन्य (2014) 5 एस. सी. सी. 345, विशेष रूप से, पैरा 19 के निर्णय पर भरोसा किया है।इसके बदले में निर्णय ने पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह-1999 (6) एस. सी. सी. 172 मामले में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित किए बिना पूर्व सूचना पर तलाशी ली जाती है कि उसे तलाशी के लिए राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो तदनुसार उसकी तलाशी लेने में विफलता अवैध वस्तु की बरामदगी को संदिग्ध बना देगी और आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को दूषित कर देगी जहां दोषसिद्धि केवल अवैध ए.

एफ.

जी.

एच.

उसके व्यक्ति से बरामद की गई वस्तुएँ।तीसरा विकल्प जो अभियुक्त को संबंधित अधिकारी से खुद की तलाशी लेने के लिए दिया गया था, जो क़ानून का हिस्सा नहीं है, वही अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता था और इस प्रकार, उससे वसूली दूषित हो जाती है।

6. मामले के तथ्यों के संदर्भ में, हम पाते हैं कि बरामदगी एक पॉलिथीन बैग में थी जिसे कांवड़ पर ले जाया जा रहा था।स्वास्थ्यलाभ व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ था।विद्वान वकील यह तर्क देते हुए की गई टिप्पणियों के दायरे का विस्तार करना चाहते हैं कि यदि व्यक्तिगत खोज को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के उल्लंघन से दूषित किया जाता है, तो अन्यथा की गई वसूली भी दूषित हो जाएगी और इस प्रकार, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।हम ऐसा विस्तृत दृष्टिकोण नहीं दे सकते हैं जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया जाना चाहिए।

बी.

सी.

7. उपरोक्त विचार के लिए एकमात्र पहलू होने के कारण, हम अपीलार्थी को राहत देने के लिए इच्छुक नहीं हैं और अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

डी.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.